



2026:AHC-LKO:21774

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - ए संख्या - 3258 सन 2026

श्रीमती कीर्ति अवस्थी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ
एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	रमेश गुप्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उदय वीर सिंह

न्यायालय संख्या - 18

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उपेंद्र कुमार सागर और प्रतिवादियों के विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह याचिका दिनांक 28.2.2026 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की 180 दिनों की दूसरी मातृत्व अवकाश की अर्जी खारिज कर दी गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को 2.2.2026 से 31.7.2026 तक पूर्ण वेतन और अन्य भत्तों सहित मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्देश जारी करने की भी प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की अर्जी को खारिज करने का आक्षेपित आदेश इस आधार पर पारित किया गया है कि पहली मातृत्व अवकाश के बाद कम से कम दो वर्ष का समय बीत जाने तक दूसरी मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं की जा सकती।

4. आगे यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त मुद्दा अब नया नहीं है और इस न्यायालय द्वारा श्रीमती सताक्षी मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट-ए संख्या 5114 / 2022 में इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है और निर्णायक रूप से निर्णय दिया जा चुका है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और वित्तीय पुस्तिका के प्रावधानों के बीच परस्पर संबंध की जांच करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया है:

25. (1) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 को संसद द्वारा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III में प्रविष्टि 24 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 42 और 43 में बताए गए लक्ष्यों को सुरक्षित करने तथा संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में निहित प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

(2) वित्तीय पुस्तिका के प्रावधान पूर्व-संवैधानिक कार्यकारी निर्देश हैं और संसद के अधिनियम के अधीन होंगे, और किसी भी असंगति की स्थिति में, संसद द्वारा निर्मित वैधानिक अधिनियम प्रभावी होगा, और इसलिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान वित्तीय पुस्तिका के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे, और अतः, वित्तीय पुस्तिका खंड 1 से 4 के नियम 153 (1) के प्रावधानों को दूसरी गर्भावस्था के संबंध में महिला को छुट्टी की स्वीकार्यता के संबंध में कम करके पढ़ा जाता है, जो मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होगा, न कि वित्तीय पुस्तिका खंड 2 से 4 के नियम 153 (1) द्वारा।

(3) राज्य सरकार ने दिनांक 11.4.2011 के सरकारी आदेश के अनुसार मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को पहले ही अपना लिया है, जैसा कि इस न्यायालय ने अंशु रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में रिट - ए संख्या 3486 / 2019 में दर्ज किया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान किसी भी अन्य कानून पर प्रभावी होंगे।

5. उपर्युक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (जिसे आगे "अधिनियम, 1961" कहा गया है) के प्रावधान वित्तीय पुस्तिका के प्रावधानों, विशेष रूप से खंड 1 से 4 के नियम 153(1) पर प्रभावी होंगे। राज्य सरकार द्वारा 11.04.2011 के सरकारी आदेश के माध्यम से अधिनियम, 1961 को अपना लेने के बाद, अधिकारियों को उक्त वैधानिक ढांचे के अनुरूप कार्य करना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनिवार्य है। मातृत्व अवकाश से इनकार करने के लिए वितीय पुस्तिका के विपरीत प्रावधानों पर भरोसा करना, विशेष रूप से दूसरी गर्भावस्था के मामले में, कानूनी रूप से अस्थिर है और कानून की स्थापित स्थिति के विपरीत है, जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में दोहराया है, जिसमें **अंशु रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (रिट-ए संख्या 3486 / 2019) का मामला भी शामिल है।

6. यह जानकारी निराशा होती है कि उपरोक्त पहलू पर कई निर्णय पारित होने के बावजूद, अधिकारी बार-बार दूसरी मातृत्व अवकाश याचिका को खारिज कर रहे हैं, और अभी भी वितीय पुस्तिका के प्रावधानों पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि यह तथ्य ध्यान में नहीं रखा गया है कि 1961 का अधिनियम वितीय पुस्तिका पर हावी होगा।

7. उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त पहलू पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिनांक 28.2.2026 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करें, जिसमें याचिकाकर्ता को 2.2.2026 से 31.7.2026 तक दूसरी मातृत्व अवकाश स्वीकृत की जाए।

8. प्रतिवादियों को भविष्य में ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करते समय सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी जाती है, क्योंकि इस प्रकार की अस्वीकृति अवमाननापूर्ण हो सकती है।

9. इस तथ्य को देखते हुए, रिट याचिका सफल होती है और प्रवेश स्तर पर ही स्वीकार की जाती है।

10. दोनों पक्ष अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

मार्च 26, 2026

मधु जे.आर./पी.एस.

[न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।